कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 437 / पी.ए. / 2021

इन्दौर, दिनांक 02–05–2021

// आदेश //

विषय :– **इन्दौर जिले में स्थित कोविड पॉजीटिव मरीजों का उपचार कर रहे अस्पतालों में चिकित्सा दरों का निर्धारण करने, अस्पतालों की सुरक्षा,अस्पताल प्रबंधन का उनके मेडीकल स्टॉफ पर समुचित नियंत्रण होने बाबत्।**

विषयान्तर्गत इन्दौर जिले में वर्तमान में लगभग 100 निजी अस्पतालों में कोविड पॉजीटिव मरीजों का उपचार चल रहा है। निजी अस्पतालों में 100 बिस्तर के अधिक बड़े अस्पतालों के साथ–साथ न्यूनतम 10–15 बिस्तर के निजी अस्पताल भी शामिल है जहां कोविड मरीजों का उपचार प्रगतिरत है।

पिछले कुछ दिनों से इस आशय की सूचना प्राप्त हो रही है कि विभिन्न निजी अस्पताल जिसमें छोटे–बड़े दोनों श्रेणी के अस्पताल शामिल है, उसमें कोविड ईलाज उपरांत जो बिल तैयार किए जा रहे है, वह उस अस्पताल में प्रदत्त सुविधाओं/ उपकरणों/चिकित्सा विशेषज्ञों तथा अन्य सुविधाओं की तुलना में अधिक है। मुख्य तौर पर 100 बिस्तर से छोटे अस्पतालों में बिल की दरों में भिन्नता व असमानता की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही है। इस संबंध में विगत एक माह में लगभग 4 बैठकों में अस्पताल के संचालकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को यह समझाईश दी गई थी कि सभी निजी अस्पताल, सी.एम.एच.ओं कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 95683/स्वास्थ्य /2020, इन्दौर दिनांक 04.09.2020 में चिकित्सा सुविधा दरें संबंधी मॉपदण्डों का सख्ती से पालन करें तथा इस आदेश मे उल्लेखित दरों से अधिक दरें अथवा अन्य मदों में राशि वसूल ना की जावे।

अस्पतालों द्वारा दिनांक 04.09.2020 के आदेश में उल्लेखित दरों से भिन्न–भिन्न मदों में भी दरे उल्लेखित कर बिलों में जोड़ी जा रही है जिससे अस्पताल संचालकों के विरूद्ध आम जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। अतः म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, National Disaster Management Act-2005 The Epidemic Disease Act, 1897 के तहत् मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल के नोटिफिकेशन दिनांक 23.03.2020 के तहत, प्रदत्त अधिकारों में **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर,** इन्दौर जिलें में स्थित विभिन्न निजी अस्पतालों तथा आमजन को अस्पतालों/चिकित्सा व्यवस्था में जुडे व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कोविड पॉजीटिव मरीजों के ईलाज में विभिन्न सेवाओं के विरूद्ध दरों का निर्धारण निम्नानुसार करता हूँ :–

1. **निजी अस्पतालों/चिकित्सा व्यवस्था में जुड़े डाक्टर एवं पैरामेडीकल स्टॉफ की सुरक्षा के संबध में –**

समस्त क्षेत्रीय एस.डी.एम. तथा पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त कोविड एवं नॉन कोविड अस्पतालों तथा उसमें कार्यरत चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ आदि की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे **तथा अस्पतालों के चाहे जाने पर तत्काल उन्हे सुरक्षा व्यवस्था संबंधित थाने द्वारा मुहैया कराई जावेगी।**

यह भी जानकारी मे आया है कि कुछ **अस्पतालों में पैरामेडीकल स्टॉफ अथवा चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ कोविड ईलाज की डयूटी करने में आनाकानी कर रहे तथा किसी न किसी बहाने से डयूटी पर न आना, अस्पताल से नौकरी छोड़ कोविड ईलाज से मुक्ति पाना अथवा जानबूझ कर कार्य ठीक से नहीं करना आदि कृत्य कर रहे है,** जिससे अस्पताल प्रबंधन को कोविड मरीजों के ईलाज एवं सेवा करने में असुविधा हो रही है। इस आदेश के माध्यम से समस्त अस्पताल प्रबंधकों को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके यहां कार्यरत समस्त पैरामेडीकल स्टॉफ तथा चिकित्सकीय कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों को यह स्पष्ट किया जाए कि यह जिला वर्तमान में National Disaster Management Act-2005 एवं The Epidemic Disease Act, 1897 के तहत नोटिफाईड है तथा चिकित्सा सुविधा अत्यावश्यक सेवाओं के अधीन आती है। लापरवाही कर रहे ऐसे चिकित्सा सेवाओं से जुडे व्यक्तियों को यह भी स्पष्ट किया जाए कि उनकी सेवा अस्पताल में कोविड मरीजों के ईलाज एवं सेवा हेतु वे बाध्य है तथा बिना अस्पताल प्रबंधन की सहमति एवं वैकल्पीक व्यवस्था हुए वे चिकित्सक चिकित्सीय कार्य में ला परवाही नही कर सकते। बिना अस्पताल प्रबंधन की सहमति के अस्पताल में कार्यरत कोई भी स्टॉफ मेडीकल अवकाश पर जाने का प्रयास करता है तो उसका मेडीकल परीक्षण सिविल सर्जन के अधीन मेडीकल बोर्ड द्वारा उसे करवाया जाना बाध्यकारी होगा तथा अगर आवश्यकता लगी तो पुलिस की सहायता भी ली जावेगी। अगर शासकीय मेडीकल बोर्ड के परीक्षण में यह पाया गया कि बिना किसी कारण संबंधित मेडीकल स्टॉफ द्वारा मेडीकल अवकाश लिया गया है तो अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर उक्त संबंधित अधिनियम एवं आई.पी.सी की धाराओं के तहत ऐसे लापरवाह निजी अस्पताल के मेडीकल स्टॉफ के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण पुलिस को सौपा जावेगा।

2. **कोविड अस्पतालों के रूम/जनरल वार्ड के बेड के चार्ज –**

वर्तमान में यह देखने आ रहा है कि कुछ अस्पताल असामान्य रूप से कमरे में स्थित बेड अथवा जनरल वार्ड में स्थित बेड के दोगुने–तीनगुने दर पर चार्जेस मरीजों के ईलाज हेतु लगा रहे है। कोविड मरीजों के ईलाज में अस्पतालों में विभिन्न अन्य मदों पर अतिरिक्त राशि व्यय करना होती है इस कारण से उक्त दरें कुछ अस्पतालों में वांछित समाधानकारक न बढ़ाते हुए अत्यधिक बढ़ाई जा रही है। अतः आदेशित किया जाता है कि **कोई भी अस्पताल उसके कमरें में स्थित अथवा जनरल वार्ड में स्थित बेड की दर उसके प्री–कोविड समय (फरवरी–मार्च 2020) में BASE RATE में अधिकतम 40% तक की वृद्धि कर सकेगा,** उदाहरण के तौर पर अगर कोई बेड कोविड संक्रमण के पूर्व रूपये 1000 में मरीजों को दिया जाता था तथा उसमें अधिकतम वृद्धि रूपये 1400 तक की हो सकेगी।

उक्त 40 प्रतिशत वृद्धि में **आईसोलेशन चार्ज, युनिवर्सल प्रोटक्शन चार्ज**, अस्पताल के **पैरामेडीकल स्टाफ/डॉक्टर्स को कोविड इन्सेटिव चार्ज**, **बेड की संख्या कम होने के**

कारण वृद्धि, **शिफ्ट ड्यूटी कम होने से अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता** तथा **कोविड बायोमेडीकल वेस्ट** के निष्पादन में व्यय आदि सभी सम्मिलित रहेगा अर्थात कोविड बेड के बेस रेट में 40 प्रतिशत की वृद्धि से प्राप्त राशि का व्यय अस्पताल प्रबंधन उक्त मदों में कर सकेंगे।

3. **पी.पी.ई किट –**

यह भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि कोविड मरीजों के ईलाज में लगने वाली अतिरिक्त रूप से पीपीई किट के मान से कुछ अस्पताल प्रबंधकों द्वारा अधिक राशि वसूली की गई है। **इस आदेश के माध्यम से पी.पी.ई किट मद मे प्रति मरीज–प्रतिदिन अधिकतम राशि रूपये 500/– ली जा सकेगी।** इस राशि के तहत् अस्पताल के अंदर कोविड प्रबंधन में संलग्न कंसलटेंट डॉक्टर, इंचार्ज ड्यूटी डॉक्टर विभिन्न शिफ्टों में लगी हुई नर्स, पैरामेडीकल स्टाफ, हाउसकीपिंग, पैथालॉजी टेस्ट के लिए लेबोरेटरी टेक्निशियन, एक्स–रे स्टाफ, पैन्ट्री स्टाफ, सिक्योरीटी गार्ड, लिफ्टमैन, मेंटेनेंस स्टाफ, कोविड फ्लोर रिशेप्सनिस्ट, फ्लोर ड्यूटी मैनेजर, रेकार्ड कीपिंग स्टाफ आदि सभी में विभिन्न शिफ्टों में लगने वाली पीपीई किट का व्यय सम्मिलित रहेगा।

4. **खाद्य एवं डिस्पोजल ऑटम –**

इस मद में मरीजों का भोजन, नाश्ता, चाय, स्टीम गार्गल, मरीजों हेतु डिस्पोजेबल जैसे–बेडशीट, तकीया कवर, रोगी गाउन, डेंटल कीट, थर्मामीटर तथा कोविड वार्ड एवं कमरों की सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित रहेगा। इस मद में **अस्पताल प्रबंधन प्रति कोविड बेड अधिकतम 750/– रूपये प्रतिदिन–प्रति मरीज प्राप्त कर सकेगा।**

5. **ऑक्सीजन चार्जेस –**

तरल आक्सीजन एवं वायुजनित आक्सीजन प्लांट से प्राप्त होने वाली आक्सीजन के डीलर्स एवं सप्लायर्स की बैठक ली गई है तथा उनके द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि वर्तमान मे मरीजों के ईलाज संबंधी आक्सीजन की दरों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः विभिन्न अस्पताल प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि **आक्सीजन थैरेपी के किसी भी मोड के माध्यम से (हाई–फ्लो आक्सीजन छोड़कर) अधिकतम सीमा रूपये 1500/– प्रति मरीज–प्रतिदिन के मान से लिया जा सकेगा।** अगर मरीज को कुछ ही घंटों के लिए आक्सीजन दी जाती है तो उस मान से कम राशि मरीजों से अनुपातिक रूप में ली जावेगी। **हाई–फ्लो आक्सीजन एचएफएनसी (उच्च प्रवाह मशीन द्वारा आक्सीजन) अधिकतम रूपये 2500/– प्रतिदिन–प्रतिमरीज लिया जा सकेगा।**

6. **बायपेप एवं वेंटीलेटर –**

उक्त दोनों उपकरणों का उपयोग करने पर, पूर्व कोविड शुल्क जो अस्पताल प्रबंधन द्वारा लिया जाता था वही अस्पताल द्वारा लिया जा सकेगा तथा इसमें किसी प्रकार की बढौतरी नहीं हो सकेगी।

7. **कंसलटेट/ चिकित्सा शुल्क –**

विभिन्न अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों के ईलाज हेतु कंसलटेंट डाक्टर को मरीजों के परीक्षण हेतु बुलाया जाता है तथा उनका परामर्श शुल्क मरीजों के बिल में जोड़ कर वसूल किया जाता है, इस संबंध में निम्न शिकायतें प्राप्त हो रही है :–

क. यह कि विजिटिंग कंसलटेंट डाक्टर की अत्यधिक दरें प्रतिदिन के मान से जोड़ी जा रही है अथवा प्रतिदिन दो या दो से अधिक बार कंसलटेंट की फीस ज्यादा राशि की बिलों में जोड़ी जा रही है।

ख. कुछ प्रकरणों में अस्पताल में कार्यरत डयूटी डाक्टर्स का भी कंसलटेंट शुल्क बिलों में लगाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। सभी अस्पताल प्रबंधन से यह अनुरोध किया जाता है कि किसी भी चिकित्सक विशेषज्ञ के परामर्श शुल्क का निर्धारण प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता। किन्तु वर्तमान मे प्रचलित मानव सभ्यता पर इस कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते सभी चिकित्सक विशेषज्ञों से अनुरोध किया जाता है कि वे मानव जीवन कि सुरक्षा में उनके बहुमूल्य योगदान के विरूद्ध में रूपये 2000 प्रति विजीट अथवा कम ही चार्ज करें। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस हेतु चिकित्सक विशेषज्ञों के समक्ष प्रशासन के इस अनुरोध को रखा जाए तथा किसी प्रकार के उनके परामर्श शुल्क को विनियमित नहीं किया जाना है। अंतिम निर्णय संबंधित चिकित्सक विशेषज्ञ का ही रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अस्पताल के डयूटी डाक्टर का दर लगाया जाना सर्वथा अनूचित रींति की श्रेणी में आता है तथा अस्पताल संचालक इस अनुचित रीति से बचे।

ग. समस्त निजी अस्पतालों को यह भी आदेशित किया जाता है चिकित्सक विशेषज्ञतः अनुसार जो परामर्श शुल्क जो मरीजों से ले रहे है वह अनिवार्यतः 7–10 दिवस के अन्तर्गत संबंधित चिकित्सक को भुगतान कर दे।

8. कोविड बायोमेडीकल वेस्ट के निष्पादन पर शुल्क –

इन्दौर में होस्विन एजेंसी द्वारा बायोमेडीकल वेस्ट का निष्पादन विभिन्न अस्पतालों एवं संस्थानों से एकत्रित कर किया जाता है। वर्तमान में देश के अन्य शहरों में कोविड बायोमेडीकल वेस्ट में इस श्रेणी की एजेंसी द्वारा रूपये 50–100/– प्रतिकिलो कोविड बायोमेडीकल वेस्ट के मान से कचरा निष्पादन शुल्क अस्पतालों से वसूल किया जा रहा है। **होस्विन एजेंसी जो इन्दौर में कोविड बायोमेडीकल वेस्ट का निष्पादन कर रही है, को आदेशित किया जाता है कि किसी भी अस्पताल/संस्थान से कोविड बायोमेडीकल वेस्ट के निष्पादन रूपये 45/– प्रतिकिलों से अधिक दर** पर अस्पताल प्रबंधन से वसूल नहीं कर सकेगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी मरीज से कोविड बायोमेडीकल वेस्ट के निष्पादन के मान से पृथक से कोई भी राशि वसूल नहीं की जा सकेगी।

9. दवाई, पैथोलॉजी टेस्ट एवं अन्य उपभोग्य मेडीकल वस्तुएँ –

हॉल ही राज्य शासन द्वारा विभिन्न पैथॉलाजी टेस्ट मे अधिकत दरों में निर्धारण किया गया है जिस संबंध में इस कार्यालय के आदेश कमांक/388/पी.ए./2021 इन्दौर दिनांक 09.04.2021 से, सभी पैथालाजी लेब तथा निजी अस्पतालों को आदेशित किया गया है सुलभ संदर्भ हेतु यह दरें पुनः निम्नानुसार उल्लेखित है :–

कमांक	टेस्ट का नाम	अधिकतम शुल्क प्रति मरीज
1	RTPCR	700 रूपये
2	रेपिड एन्टीजन टेस्ट	300 रूपये

3	सी.टी.स्केन	3000 रूपये
4	ए.बी.जी.टेस्ट	600 रूपये
5	डी–डाईमर टेस्ट	500 रूपये
6	प्रो कैल्सीटोनिन टेस्ट	1000 रूपये
7	सी.आर.पी.टेस्ट	200 रूपये
8	सीरम फैरिटिन टेस्ट	180 रूपये
9	आई.एल. 6 टेस्ट	1000 रूपये

उक्त निर्धारित दरों में यदि घर से सेंपल लेना हो तो उसके लिए सभी श्रेणियों में रूपये 200/– अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा। अन्य दरें पैथॅालाजी की वही रखी जावेगी जो प्री–कोविड दरों के समय ली जा रही थी। **निजी अस्पतालों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी मरीज के परिजन को अस्पताल की फार्मेसी से खरीदने की बाध्यता नही कर सकेंगे तथा परिजन अस्पताल की दवाईयां दवा बाजार या अन्य दवा मार्केट से खरीद सकेगे।**

सभी निजी अस्पताल संचालकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त उल्लेखित मदों एवं दरों के अतिरिक्त कोविड ईलाज के नाम पर किसी भी पृथक मद में राशि वसूल नहीं की जा सकेगी।

उक्त आदेश का उल्लघंन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध प्रथम पैरा मे उल्लेखित प्रावधानों/अधिनियम/शासन के नोटीफिकेशन के उल्लंघन के फलस्वरूप उचित कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 03.05.2021 से समस्त निजी अस्पतालों में कोविड ईलाज संबंधी बिल इस आदेश के अनुरूप ही बनाए जा सकेंगे। अगर कोई निजी अस्पताल इस आदेश के विरूद्ध कोई बिल तैयार करता है तो उसकी शिकायत निम्न अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को लिखित मे की जा सकेगी :–

अ. इन्दौर नगर निगम, सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत निजी अस्पतालों के बिल संबंधी शिकायत– **श्री अजय देव शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर, मो.नं. 9425152833**

ब. नगर निगम, सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित इन्दौर जिले की सीमा के अन्दर निजी अस्पतालों के बिल संबंधी शिकायत हेतु **श्री राजेश राठोर, अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, इन्दौर, मो.नं. 9303938924**

उक्त अधिकारी, इन्दौर शहर में झोनल मेडिकल अधिकारी, एवं उनके अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी, के साथ शिकायत बिलों की जांच 48 घंटों के अंदर पूर्ण कराऐंगे तथा ए.डी.एम. के अनुमोदन से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में बी.एम.ओ. एवं उनके अधिनस्थ चिकित्सकों से जांच कराई जा सकेगी।

उक्त ए.डी.एम. जांच में क्षेत्रीय एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आर. आई., पटवारी अथवा जिला स्तरीय अन्य विभागों के किसी भी अधिकारी को भी नियुक्त कर सकेंगे। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि लिखित शिकायत मय प्रमाण के प्राप्त होने पर जांच प्रांरभ होगी तथा यह जांच ए.डी.एम. के अनुमोदन से ही कलेक्टर के समक्ष 48 घंटे के अंदर प्रस्तुत की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ.क. / 438 / पीए / 2021 **इंदौर दिनांक 02.05.2021**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, झोन –1–2–3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. अधिष्ठाता, एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, इन्दौर / अधीक्षक एमवायएच इन्दौर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर– संबंधित समस्त को अवगत करवाने हेतु
12. सिविल सर्जन, इन्दौर
13. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर